

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- प.4(ई)(वी) लिंक नंबर-23274/अलेसे।।।/4863

दिनांक:- 18/12/2019

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिक की कॉलम संख्या 06 में अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(B)(III) के अन्तर्गत नियमित करते हुए एवं कॉलम 05 में अंकित चुनाव आदर्श आचार संहिता की अवधि को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ1(1) वित्त (नियम)/2007 दिनांक 06.08.2018 के अनुसरण में नियमित करते हुए वेतन आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है

क्र. सं.	लिंक नंबर	नाम कार्मिक मय पद	अवधि			विभाग/कार्यालय जहाँ से वेतन भुगतान किया जाना है।
			आदेशों की प्रतीक्षा अवधि	चुनाव आदर्श आचार संहिता की अवधि	आदेशों की प्रतीक्षा अवधि(आचार संहिता की अवधि को घटाते हुए)	
1	2	3	4	5	6	7
2.	23274 / 2013	श्री गोपी किशन छीपा / कनिष्ठ लेखाकार	दिनांक-12.03.2019 से 27.05.2019	दिनांक-12.03.2019 से 26.05.2019	27.05.2019	कोषाधिकारी (ग्रामीण) जोधपुर

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- प.4(ई)(वी) लिंक नंबर-23274/अलेसे।।।/4863

दिनांक:- 18/12/2019

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. कोषाधिकारी(ग्रामीण) जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक का गत भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त कर वेतन भुगतान एवं सेवा पुस्तिका में इन्द्राज कराने की व्यवस्था करावें।
2. गोपी किशन छीपा, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय कोषाधिकारी(ग्रामीण) जोधपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
4. उप निदेशक, (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. निजी/गार्ड फाईल।

लेखाधिकारी
निदेशक(कार्मिक-।।।)